



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-162

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 274579 दिनांक 27/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Deepak Sharma S/o K M SHARMA	श्रीमती अन्जु गुप्ता पत्नी श्री सुशील गुप्ता	66	194.62 SQ. YARD	Private	NANDAN RESIDENCY Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना नन्दन रेजीडेन्सी के भूखण्ड संख्या 66 क्षेत्रफल 194.62 वर्ग गज की लीजडीड श्रीमती अन्जु गुप्ता पत्नी श्री सुशील गुप्ता के नाम से दिनांक 08.12.2012 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती अन्जु गुप्ता पत्नी श्री सुशील गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2015 के द्वारा श्रीमती ललिता शर्मा पत्नी श्री हितेश शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती ललिता शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2022 के



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा श्रीमती  
रुचि सिंघल पत्नी  
श्री कैलाश सिंघल  
को कर दिया  
गया। तत्पश्चात  
श्रीमती रुचि  
सिंघल द्वारा  
उक्त भूखण्ड का  
बेचान जरिये  
रजिस्टर्ड विक्रय  
पत्र दिनांक  
17.12.2015 के  
द्वारा श्री दीपक  
शर्मा पुत्र श्री  
के.एम.शर्मा को  
कर दिया गया।  
आवेदक श्री दीपक  
शर्मा पुत्र श्री  
के.एम.शर्मा द्वारा  
उक्त भूखण्ड का  
नाम हस्तान्तरण  
हेतु आवेदन किया  
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Deepak Sharma S/o K M SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |